राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः निसंशि/संस्था–4कखगघड/स्थाना0/2013 /19276-19280 दिनांकः28.06.2013

आदेश

निम्नांकित तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते है। संबंधित संस्था प्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 06.07.2013 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेगें कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो तथा जिन शिक्षकों की नियुक्ति जुलाई–2010 या उसके पश्चात् हुई है तथा नियुक्ति पत्र में 3 वर्ष तक स्थानान्तरण पर विचार नहीं किये जाने का उल्लेख है, उनका स्थानान्तरण भी प्रतिबन्धित रहेगा।

उक्त शर्ते पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेगें। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्था प्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेगें कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं पदस्थापन स्थान वहीं है जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वैच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पद	कहाँ से	कहाँ को	वि0वि0
1	बाबूलाल सैनी	अध्यापक ग्रेड–III	राउप्रासंवि कालच्या जयपुर	राउप्रासंवि चाकसू जयपुर	रिक्त पद पर
2	रेखा जैन	अध्यापक ग्रेड–III	राउप्रासंवि टहटडा, अलवर	राउप्रासंवि नारायणपुर राजगढ अलवर	रिक्त पद पर
3	सविता शर्मा	अध्यापक ग्रेड–III	रावउपांसवि महापुरा जयपुर	राप्रासंवि बारहगुवाडा विद्यार्थी सभा के पास बीकानेर	रिक्त पद पर

साथ ही विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 18008–397 दिनांक 20.06.2013 के क्रम संख्या 63 पर उल्लेखित श्री रणजीत आलोरिया के पदस्थापन स्थान राप्रासंवि लालचन्दपुरा करघनी जयपुर के स्थान पर राप्रासंवि भांकरोटा एवं क्रम संखा 109 पर उल्लेखित श्री निरंजनलाल शर्मा का पदस्थापन स्थान राउप्रासंवि साबूवाना हनुमानगढ के स्थान पर राप्रासंवि केशर की पाटन सीकर संशोधित किया जाता है। आदेश प्रसारित होने से पूर्व जिन कार्मिकों के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय से यथास्थिति के आदेश है उन पर उक्त आदेश लागू नहीं होगें।

(डॉ मण्डन शर्मा)
निदेशक,
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः निसंशि/संस्था–4कखगघड/स्थाना0/2013/19276-19280 दिनांकः 28/6/2013

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, मान0संस्कृत शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित प्राचार्य/संकुल प्रभारी
4. संबंधित संस्था प्रधान
5. संबंधित कार्मिक
6. व्यक्तिगत पंजिका/रक्षित पंजिका

(डॉ विश्वम्भरदयाल जोशी)
संयुक्त निदेशक,
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर